न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर – जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली

प्र0सं0 110/2009 (2009/00042) दर्ज दिनांक 02.09.2009
अन्तर्गत धारा 88,89,188,91,92क आर0टी0एक्ट
प्रा.पत्र 0–7 R–11 जा0दी0

शीर्षक

1. मु0 घीसी पुत्री बहादुर खां पीनारा निवासी नांदशा के0 तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

वादिया

बनाम

1. मु0 अणछी पुत्री बहादुर खां पिनारा निवासी नांदशा के0 तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
2. श्रीमती जमीला पत्नि साबुदीन पिनारा निवासी नांदशा के0 तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
3. तहसीलदार सहाब मुकाम–गंगापुर जिला–भीलवाडा

प्रतिवादीगण

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा॰दी॰ ::

निर्णयदिनांक 29.01.2021

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रतिवादी संख्या दो की ओर से प्रा.पत्र 0–7 R–11 जा0दी0 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त प्रकरण में वादिया घीसी व अणछी की ओर से एक वाद न्यायालय जिला न्यायालय भीलवाड़ा में वाद वर्णित आराजियात में अपने हक हिस्से व घोषणा तथा विक्रय पत्र दिनांक 10.06.2009 को निरस्ती का प्रस्तुत किया जिसमें न्यायालय ने दोनो पक्षो साक्ष्य लेने के बाद अपर जिला न्यायालय क0 सं0 एक भीलवाड़ा मु0 गंगापुर में प्र0सं0 11/2011 दिनांक 13.11.2014 को वादिया का वाद खारिज कर दिया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.29 17:07:46 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

प्र0सं0 110/2009 (2009/00042)
अन्तर्गत धारा 88,89,188,91,92क आर0टी0एक्ट
प्रा.पत्र 0–7 R–11 जा0दी0

यह कि सिविल न्यायालय व न्यायालय आप मे वर्णित दोनों ही वाद के तथ्य समान है तथा इसी सम्पति/आराजियात से संबंधित है तथा इस वाद में बहादुरशाह की वसीयत को भी वैध मान लिया है। अपर जिला न्यायालय ने हस्तगत वाद में वर्णित सभी विवाधक पर अपना निर्णय दे दिया जिससे इन ही विवाधक पर उक्त वाद चलने योग्य नहीं है वाद कारण विलोपित हो गया है, जिससे उक्त वाद विधि द्वारा वर्जित जिससे खारिज फरमाया जावे। एवं प्रतिवादी अधिवक्ता ने वाद खारिज किये जाने का निवेदन किया।

वादी अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करके सीधी बहस करना चाही बहस उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी गई। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र 0–7 R–11 जा0दी0 में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं प्रस्तुत साक्ष्यों का अवलोकन फरमाते हुए प्रा0पत्र 0–7 R–11 जा0दी0 स्वीकार करने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता वादी द्वारा विरोध प्रदर्शित करते हुए प्रतिवादी का प्रा.पत्र 0–7 R–11 जा0दी0 का खारिज करने हेतु निवेदन किया।

न्यायालय द्वारा बहस पर मनन् किया गया। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया जिससे जाहिर आया कि वादिया घीसी व अणछी की ओर से एक वाद न्यायालय जिला न्यायालय भीलवाड़ा में वाद वर्णित आराजियात में अपने हक हिस्से व घोषणा तथा विक्रय पत्र दिनांक 10.06.2009 को निरस्ती का प्रस्तुत किया जिसमें न्यायालय ने दोनो पक्षो साक्ष्य लेने के बाद अपर जिला न्यायालय क0 सं0 एक भीलवाड़ा मु0 गंगापुर में प्र0सं0 11/2011 दिनांक 13.11.2014 को वादिया का वाद खारिज कर दिया। सिविल न्यायालय व इस न्यायालय में वर्णित दोनों ही वाद के तथ्य समान है तथा इसी सम्पति/आराजियात से संबंधित है तथा इस वाद में बहादुरशाह की वसीयत को भी वैध मान लिया है। अपर जिला न्यायालय ने हस्तगत वाद में वर्णित सभी विवाधक पर अपना निर्णय दे दिया जिससे वाद कारण विलोपित हो गया है, जिससे यह न्यायालय उक्त वाद खारिज किया जाना उचित समझता है अतएवं विधि प्रावधानों के विपरीत होने से प्रतिवादी संख्या 02 का प्रा.पत्र 0–7 R–11 जा0दी0 को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.29 17:07:46 IST
Reason: SelfAttested

2.

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ... जिला भीलवाड़ा

अधिवक्ता श्री V. K. ...

अधिवक्ता श्री R. K. ...

Scanned with CamScanner

प्र0सं0 110/2009 (2009/00042)
अन्तर्गत धारा 88,89,188,91,92क आर0टी0एक्ट
प्रा.पत्र 0–7 R–11 जा0दी0

:: आदेश ::

प्रार्थना –पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा॰दी॰ स्वीकार किया जाता है। एवं प्रा0पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा॰दी॰ स्वीकार किये जाने से वादिया द्वारा प्रस्तु वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 91, 92 ए आर0टी0 एक्ट का विधि प्रावधानों के विपरीत होने से वाद पत्र खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 29.01.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी गंगापुर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर (सिटी) भीलवाड़ा (राज.)

3.

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.29 17:07:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मूलवाद में डिक्री

(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली, आर.ए.एस.

प्र0सं0 110/2009 (2009/00042) दर्ज दिनांक 02.09.2009

अन्तर्गत धारा 88,89,188,91,92क आर0टी0एक्ट

प्रा.पत्र 0–7 R–11 जा0दी0

शीर्षक

1. मु0 घीसी पुत्री बहादुर खां पीनारा निवासी नांदशा के0 तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

वादिया

बनाम

1. मु0 अणछी पुत्री बहादुर खां पिनारा निवासी नांदशा के0 तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
2. श्रीमती जमीला पत्नि साबुदीन पिनारा निवासी नांदशा के0 तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
3. तहसीलदार सहाब मुकाम–गंगापुर जिला–भीलवाडा

प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा०दी०

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री गणपत राणवा, प्रतिवादी अधिवक्ता श्री महेश दाधीच की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 29.01.2021 को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है ओर डिक्री दी जाती हैं कि ––––×––––– और इस वाद के खर्च लेखे ––––×––––– रूपये की राशी आज तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर ––––×––––– प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से व्याज सहित ––––×––––– द्वारा ––––×––––– को दी जाए।

प्रार्थना –पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा०दी० स्वीकार किया जाता है। एवं प्रा0पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा०दी० स्वीकार किये जाने से वादिया द्वारा प्रस्तु वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 91, 92 ए आर0टी0 एक्ट का विधि प्रावधानों के विपरीत होने से वाद पत्र खारिज किया जाता है। उपरोक्तानुसार भूमि वादी के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज की जावें खर्चा फरीकेन अपना – अपना वहन करें।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर, भीलवाड़ा(राज0)

डिक्री आज दिनांक 29.01.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गयी।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) जिला भीलवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.29 17:07:46 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर, भीलवाड़ा(राज0)

Scanned with CamScanner